



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

**Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd**

A Govt. of India (Ministry of Railway) Enterprises

**No. HQ/PIO/RTI/270/12**

**Dt: 29-1-2013**

**Sh. Shakti Singh Chauhan**

Shakti Kunj, Near Railway Line,  
Vyahwar Road, Subhash Nagar,  
Ajmer (Rajasthan)

**Sub:** Information under RTI Act- 2005

**Ref:** Your 1<sup>st</sup> appeal dt: 19-10-2012, received on 22-10-2012.

उपरोक्त विषय पर आपसे प्राप्त प्रथम अपील को ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद यह सूचित किया जाता है आपको सूचना इस कार्यालय के PIO and DGM/RTI पत्र संख्या . HQ/PIO/RTI/270/12 Dt: 11-1-2013 के द्वारा प्रदान कर दी गई है ( प्रतिलिपि संलग्न है)

अतः आपकी अपील का निवारण किया जाता है।

10/29/13  
**DESPATCH**

*V.K. Verma*  
29.1.13

**(V.K.Verma)**  
**Appellate Authority**  
**and GGM/Admin**

**Copy ..**

**PIO/NW Railway, H.Q. Jaipur in reference to letter no G/HQ/RTI/4/7794**  
**DT. 21-01-2013**



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

## Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5<sup>th</sup> Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001  
Registered Office: 101 A, Rail Bhawan, New Delhi- 110001, Web: [www.dfccil.org](http://www.dfccil.org)

No. HQ/PIO/RTI/ <sup>270</sup> /12

Dt: 11-01-2013

**Sh. Shakti Singh Chauhan**

Shakti Kunj, Near Railway Line,  
Vyahwar Road, Subhash Nagar,  
Ajmer (Rajasthan)

**Sub:** Information under RTI Act- 2005

**Ref:** Your application dt: 11-12-2012 .

आपके इन्ही सम्बंधित विषयो पर आपके दिनांक 12-09-12 के जवाब में आपको इस कार्यालय के पत्र संख्या No. HQ/PIO/RTI/ 185 /12 दिनांक 05-10-12 के द्वारा सूचित किया गया था कि कि आपके द्वारा मांगी गई मद सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी यदि कोई भी प्रोजेक्ट सम्बन्धी सूचना अपेक्षित है तो CPM / Ajmer कार्यालय में जाकर नियमानुसार वांछित जानकारी एवं प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

इसी प्रकार आपके दिनांक 13-10-12 के जवाब में आपको इस कार्यालय के पत्र संख्या No. HQ/PIO/RTI/222 /12 दिनांक 23-10-12 के द्वारा सूचित किया गया था कि;

आपके आवेदन में किसी बिंदु विशेष पर सूचना मांगने की अपेक्षा अत्यंत समान्य एवं अनिद्रिष्ट रेखा में, यथा "उन सभी विभागों के नाम पते जिनकी स्वीकृति आवश्यक है" का विवरण चाहते हैं। इस प्रकार के संकलन हेतु अपेक्षित विशेष श्रम, संसाधनों के अनुपातिक विचलन (Disproportionate diversion of assets) को आकर्षित करता है, जिसका सम्यक द्रष्टान्त लेते हुए सूचना आयोग ने ऐसे कई प्रकरण निरस्त किये हैं।

चूँकि ये परियोजना भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी एवं लोककल्याणकारी परियोजना है जिसका अनुमोदन उच्चतम स्तर से हुआ है। अतः ये आवश्यक नहीं है की प्रत्येक सम्बंधित जिलाधिकारी अथवा समकक्ष अधिकारी से इसका प्रथक- प्रथक अनुमोदन लिया जाये। इस कारण से आपको इस कार्यालय के पत्रांक दिनांक 08-02-2012, द्वारा प्रेषित की जा चुका है। इस परियोजना के लिए आवश्यक स्वीकृति प्राप्त है। पुनः दिनांक 05-10-2012 द्वारा दी गई सूचना पूर्वोक्त पत्र के विरोधाभास में न होकर पूरक सूचना है जिसके द्वारा आपको CPM / Ajmer के कार्यालय हेतु निर्दिष्ट किया था।

पुनः आपको सूचनार्थ प्रेषित है

DESPATCH

(Rajiv Bhatnagar)  
DGM/PIO

Copy to: CPM/Ajmer